विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी द्वारा स्वास्थ्य उन्नयन, रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही है, इन पद्धतियों के चिकित्सा महाविद्यालयों, आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदाय तथा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रदेश में प्रशासकीय नियंत्राण, विकास एवं उन्नयन हेतु संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की स्थापना पूर्व मध्यप्रदेश में वर्ष 1977–78 में की गई थी । पूर्व मध्यप्रदेश में राज्य विभाजन के साथ ही संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़ रायपुर में 01.11.2000 से संचालित है । संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत है ।

इस संचालनालय की संरचना निम्नानुसार है :–

विभागाध्यक्ष के रूप में संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्थापना के अंतर्गत विभिन्न प्रशासकीय, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संवर्धन, उपचार आदि स्वास्थ्य सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को क्रियान्वित करने तथा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन को सभी क्षेत्राों में गति देने हेतु संचालनालय कार्यालय में निम्न पद है :–

1. संचालनालय अधिकारियों के पद :–

संचालक	–	01 पद
संयुक्त संचालक (आयुर्वेद)	–	01 पद
उप संचालक (आयुर्वेद)	–	03 पद
वित्त अधिकारी	–	01 पद
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	–	01 पद

2. **संचालनालय के अधीनस्थ संस्थायें/कार्यालय**

क.	संस्था का नाम	संख्या	कार्यालय प्रमुख
2.1	आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	01	प्रधानाचार्य
2.2	आयुर्वेद महाविद्यालयीन चिकित्सालय–रायपुर	01	उपसंचालक
2.3	जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय	16	जिला आयुर्वेद अधिकारी
2.4	चिकित्सालय– जिला आयुर्वेद चिकित्सालय 1. बिलासपुर 2. रायगढ़ 3. सरगुजा 4. दुर्ग 5. दल्लीराजहरा 6. जगदलपुर	06	जिला आयुर्वेद अधिकारी
2.5	शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर	01	उपसंचालक

 Con.

2.6	ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र	01	नियंत्राक	
2.7	**औषधालयों की जानकारी–**			
	औषधालय	ग्रामीण	शहरी	कुल
	आयुर्वेद	617	16	633
	यूनानी	03	03	06
	होम्योपैथी	29	23	52
	योग	**649**	**42**	**691**

2.8 **निजी महाविद्यालय –06**

1. राजीव गांधी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, खेदामारा, भिलाई दुर्ग
2. रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
3. महाराणां प्रताप होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
4. छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर
5. मोहसिना मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, रायपुर
6. श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग

3. **सचांलनालय के अंतर्गत स्वीकृत पद :–**

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
प्रथम	**45**	**15**	**30**
द्वितीय	**699**	**489**	**210 (राज्य आबंटन पश्चात 112 चिकि.अधि. न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर राज्य में उपस्थित नहीं हुए)**
तृतीय	**1005**	**756**	**249**
चतुर्थ	**906**	**773**	**133**
नैमित्तिक	**770**	**679**	**91**
योग	**3425**	**2712**	**713**

4. प्रदेश के रायपुर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय तथा उससे संबद्ध चिकित्सालय को स्वशासी संस्था घोषित किया गया है । यह संस्था रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्राण की जाती है ।
उपरोक्त संस्था के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्राों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु तथा रोगियों के उपचार के लिये अलग–अलग चिकित्सा विषयों के लिये विभाग है, जिसके कार्य का संचालन संबंधित विषय के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाता है ।

5. **संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की विभागीय नीति :–**

1. आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना ।
2. समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन ।
3. जिला पंचायतों को हस्तान्तरित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य ।
4. नवीन आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय खोलने संबंधी कार्य ।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न सर्वेक्षण कार्य ।
6. आयुर्वेद, होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षण एवं प्रशिक्षण ।
7. परिचर्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण ।
8. प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा आदि क्षेत्राों में सर्वांगीण विकास उन्न्यन एवं नियंत्राण ।
9. स्वशासी तथा निजी क्षेत्रा के आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी महाविद्यालय खोलने के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाही ।
10. स्वाशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही ।
11. निजी क्षेत्रा के आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी महाविद्यालयों का नियंत्राण ।
12. शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों तथा स्वशासी महाविद्यालयीन चिकित्सालय हेतु शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी में औषधियों का निर्माण एवं प्रदाय ।
13 आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद से समन्वय कर चिकित्सा व्यवसायियों पर नियंत्राण ।
14. गैर शासकीय संगठनों द्वारा औषधि उद्यान विकसित करने संबंधी अनुदान प्रकरणों का परीक्षण ।
15. निजी शैक्षणिक चिकित्सा संस्थायें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा योग आदि के अनुदान प्रकरणों का परीक्षण ।
16. प्रदेश में निजी क्षेत्राों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गैर शासकीय संगठनों एवं निजी चिकित्सा व्यवसायियों एवं चिकित्सकों को भागीदारी हेतु प्रेषित करना ।
17. वनौषधि के संरक्षण, संवर्धन आदि हेतु संबंधित विभाग से समन्वय ।
18. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन औषधि गुणवत्ता नियंत्राण तथा कच्ची औषधियों की उपलब्धता हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, खाद्य एवं औषधि नियंत्राक, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों, निगम, मण्डलों आदि से समन्वय करना ।
19. जिला आयुर्वेद अधिकारी, उप संचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय (स्वशासी), नियंत्राक ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का प्रशासकीय नियंत्राण तथा पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन आदि ।
20. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषयों जिनका संचालनालय से संबंध हो ।

उदाहरणार्थ :— नियुक्ति पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नतियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन आदि का कियान्वयन किया जाना ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

6.1 प्रदेश में 01 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, 01 निजी आयुर्वेद, 03 निजी होम्योपैथी, 01 यूनानी एवं 01 प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालयों के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान चिकित्सा शिक्षा की स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है । भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय परिषद एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मापदंडों के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एवं प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालयों के चिकित्सालयों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है । इन महाविद्यालयों चिकित्सालयों द्वारा प्रदेश की जनता को चिकित्सा सेवायें प्रदान की जाती है । इन महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं चिकित्सकों हेतु पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेजित किये जाते हैं ।

बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में 55 सीट्स, राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, खेदामारा, भिलाई दुर्ग में 40 सीट्स तथा बी. एच.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु निजी क्षेत्रा के होम्योपैथी महाविद्यालयों में 200 सीट्स एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 40 सीट्स तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय में 50 सीट्स हैं ।

विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु शासकीय एवं निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में 660 शैय्याओं की व्यवस्था है ।

6.2 संचालनालय के अन्तर्गत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय हेतु महाविद्यालय चिकित्सालय 01 एवं 06 जिला चिकित्सालय संचालित है ।

6.3 संचालनालय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय हेतु आयुर्वेद औषधालय 633, यूनानी के 06 तथा होम्योपैथी के 52 शासकीय औषधालय हैं ।

6.4 संचालनालय एवं इसके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत कुल स्वीकृत पद 3425 है ।

6.5 स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है एवं काय चिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है ।

6.6 संचालनालय में कुल 252 न्यायालयीन प्रकरण है जिसमें से 146 राज्य विभाजन से संबंधित है।

6.7 छत्तीसगढ़ राज्य में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय में शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधा में और सुधार कर अपेक्षित स्तर तक लाने संबंधी औचित्य के आधार पर प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय को राज्य विभाजन के पूर्व से ही स्वशासी घोषित किया गया है । स्वशासी संस्था उनके द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों के तहत वित्तीय व्यवस्था संस्था के रख—रखाव, आवश्यकता अनुसार मरम्मत, रोगियों हेतु चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था, पूर्ण चिकित्सा सुविधा तथा क्षेत्रों का अपेक्षित स्तर की शैक्षणिक सुविधा आदि को सुनिश्चित

 Con.

करनी है । प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय विकास हेतु विचार विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीः–

	संख्या		संख्या	शैय्या
1.	प्रधानाचार्य, आयुर्वेद महाविद्यालय स्वशासी	–	01	
2.	उप संचालक, महाविद्यालयीन चिकित्सालय	–	01	165
3.	नियंत्राक, ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान	–	01	
4.	उप संचालक, आयुर्वेद फार्मेसी	–	01	
5.	जिला आयुर्वेद चिकित्सालय	–	06	180
6.	राजीव गांधी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, खेदामारा, भिलाई दुर्ग	–	01	75
7.	रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	–	01	25
8.	महाराणा प्रताप होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	–	01	25
9.	छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	–	01	50
10.	मोहसिना मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, रायपुर	–	01	90
11.	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग	–	01	50
	योग	–		**660**

5. **औषधालय–**

आयुर्वेद औषधालय	633
यूनानी	06
होम्योपैथी	52

6. **महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट संख्या–**

आयुर्वेद	95
होम्योपैथी	200
यूनानी	40
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	50

लक्ष्य

1. उच्च प्राथमिकता वाली योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर का सी. सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उन्नयन किया जाकर मॉडल कालेज बनाए जाने हेतु गहन प्रयास किए जायेगें ।

2. शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के उन्नयन हेतु केन्द्रीय योजना के तहत प्रभावी प्रयास किये जावेगें ।
3. केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय में पुनर्बोध कार्यक्रम का नियमित आयोजन किये जाने के प्रयास किये जावेंगे ।
4. ग्रामीण औषधालयों हेतु भवन निर्माण किया जावेगा ।
5. लोक चिकित्सक (बैगा गुनिया) द्वारा प्रयोग में लाई जा रही औषधियों पर शोध कार्य किया जावेगा ।
6. ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जावेगा ।
7. एलोपैथिक चिकित्सालय, सी.एच.सी./पी.एच.सी. में आयुर्वेद, होम्योपैथी की शाखा प्रारम्भ किया जाना ।
8. प्रत्येक विकासखण्ड में एक आयुर्वेद ग्राम की स्थापना करना ।

छत्तीसगढ़ राज्य में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित चिकित्सालयों में शैक्षणिक एवं उनके चिकित्सा सुविधा में और सुधार कर उन्हें अपेक्षित स्तर तक लाने संबंधी औचित्य के आधार पर प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय को स्वशासी घोषित किया गया है । इन स्वशासी संस्थाओं को उनके द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों के तहत वित्तीय व्यवस्था, संस्था के रख–रखाव, आवश्यकता अनुसार मरम्मत, रोगियों हेतु चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था, पूर्ण चिकित्सा सुविधा तथा क्षेत्राों का अपेक्षित स्तर की शैक्षणिक सुविधा आदि को सुनिश्चित करनी है । प्रशासनिक वित्तीय, शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय आदि ऐसे चहुमूखी विकास हेतु विचार विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

संक्षेप में संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय की जा रही है, एवं शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है । आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सालयों तथा औषधालयों में साधन सुविधा बढ़ाने के लिये सतत प्रयासरत रहते हुए, संचालनालय इन

चिकित्सा पद्धतियों के विकास एवं आवश्यक शोध, प्रारंभ करने एवं बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत हैं ।

विभाग की संचालित महत्वपूर्ण योजनाएंः—

1. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय की ष्भ्मदजतंस ैचवदेवतमक ैबीमउम वित च्तवउवजपदह क्मअमसवचउमदज वि भ्मंसजी ब्ंतम थ्ंबपसपजपमे वि प्दकपंद ैलेजमउे वि डमकपबपदम – भ्वउवमवचंजीलष योजनान्तर्गत :—
   1) एलोपेथीक चिकित्सालय एवं सी.एच.सी./पी.एच.सी. में आयुर्वेद शाखा प्रारम्भ किया जा रहा है ।
   2) विभाग के अन्तर्गत संचालित 691 औषधालयों हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है ।
2. रि—ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम :—
   आयुर्वेद चिकित्सकों/शिक्षकों को उनके ज्ञान को अद्यतन किए जाने हेतु शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में विभिन्न विषयों में रि—ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है ।
3. शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी रायपुर का सुदृढ़िकरण :—
   शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी रायपुर को और अधिक सुदृढ़ एवं पर्याप्त औषधि निर्माण हेतु सक्षम बनाया जा रहा है ।
4. ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का सुदृढ़िकरण :—
   ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र को और अधिक सुदृढ़ एवं औषधि परीक्षण हेतु सक्षम बनाया जा रहा है ।
5. घरेलु उपचार किट पायलेट योजना :—
   घरेलु उपचार किट पायलेट योजनान्तर्गत बिलासपुर जिले के मरवाही विकासखण्ड के 2000 से कम जनसंख्या वाले 100 ग्रामों में सामान्य रोगों की विभिन्न औषधियों का वितरण किया जा रहा है ।
6. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में कम्प्यूटर लेब :—
   महाविद्यालय शिक्षकों एवं छात्राों को नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके । इस हेतु कम्प्यूटर लेब की स्थापना की गई हैं ।
7. आदिवासी क्षेत्रा के चिकित्सालयों एवं औषधालयों हेतु औषधियों एवं मशीन उपकरणः—
   आदिवासी क्षेत्रा के चिकित्सालयों एवं औषधालयों में आवश्यक उपकरण एवं औषधियां पर्याप्त मात्राा में उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जन सामान्य को अधिकाधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके ।
8. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर मॉडल कालेज के रूप में उन्नयन किया जानाः—
   भारत सरकार के योजनान्तर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर को मॉडल कालेज के रूप में उन्नयन किया जा रहा है । जिसके तहत चार नवीन विषयों पर स्नाताकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है । जिससे प्रदेश में योग्य चिकित्सा उपलब्ध होगें ।
9. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय की ष्भ्मदजतंस ैचवदेवतमक ैबीमउम वित च्तवउवजपदह क्मअमसवचउमदज वि भ्मंसजी ब्ंतम थ्ंबपसपजपमे – क्मअमसवचउमदज वि प्देजपजनजपवद वि प्दकपंद ैलेजमउे वि डमकपबपदम – भ्वउवमवचंजीलष योजनान्तर्गत शासकीय

Con.

संस्थाओं के साथ–साथ प्रदेश के निजी महाविद्यालयों में भी उक्त योजना का लाभ देने का प्रयास किया गया है ।